FORM No. III

APP-A
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत [illegible] उपखण्ड अधिकारी मुकाम [illegible]

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा 188 RTA नं. 98 / [illegible] (88) सन 76 / [illegible] / 2009

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.6.09	पत्रावली [illegible] हेतु पेश हुई। [illegible] उपस्थित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दिनांक 3.7.09 को पेश हो।	
3/7/09	पत्रावली पेश हुई। वकील आदि उपस्थित हैं। प्रति० सं० 1 से 7 की ओर से श्री कैलाशजी गुप्ता एड० ने वकालतनामा पेश किया शा० कि० हो। प्रति० सं० 8 व 9 की ओर से श्री सत्यनारायण नागर एड० ने वकालतनामा पेश किया शा० कि० हो। पत्रावली वास्ते जवाब हो, दि० 21/8/09 को पेश हो।	
21/8/09	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्य हेतु बाहर दौरे में तशरीफ रखते अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है अतः पत्रावली सामान्य कार्यवाही दिनांक 9/10/09 को पेश हो।	
9/10/09	[illegible] अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित [illegible] उपखण्ड अधिकारी [illegible] में तशरीफ रखते आज [illegible] अभिभाषकगण अन्य कार्य में [illegible] कन्डोलेन्स पर है अतः पत्रावली सामान्य कार्यवाही दिनांक 27/11/09 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बहस उभयपक्ष समाहत की गई एवं हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया। तत्पश्चात् हम पत्रावली में कायम तनकीयात् की विवेचना की ओर अग्रेषित होते हैं–

तनकी संख्या 1– इस तनकी को साबित करने का भार वादिनी पर हैं। मुताबिक संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2062–65 ग्राम उमरथुना खाता संख्या 139 के अवलोकन से जाहिर हैं कि वादिनी विवादित आराजी की वेधानिक खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं। जमाबंदी के अवलोकन से ही स्पष्ट हैं कि वादिनी द्वारा विवादित आराजी पूर्व खातेदार श्री प्रताप आ0 हरदेव जाति भील सा0 खेरूणा से वेधानिक रूप से क्रय की गई एवं बाद क्रय भूमि का अंकन वादिनी के नाम राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तकरण संख्या 393 दिनांक 10.05.2008 से हुआ हैं। तनकी की विषयवस्तु रेकार्डेड होने से तनकी का निर्णय बहक वादिनी किया जाता हैं।

तनकी संख्या 2– इस तनकी को साबित करने का भार वादिनी पर हैं मुताबिक संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2062–65 ग्राम उमरथुना खाता संख्या 139 वादिनी विवादित आराजी की रेकार्डेड खातेदार हैं, जिस पर नियमानुसार अन्य किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं हैं। वाद पत्र के संलग्न जवाब दावा प्रतीत होता हैं कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर अपना हक जता रहे हैं और कब्जा होना बता रहे हैं, जिससे स्पष्ट हैं कि प्रतिवादीगण वादिनी की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। रेकार्डेड खातेदार होने की हैसियत से वादिनी को अधिकार प्राप्त हैं कि वह प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये। अतः इस तनकी का निर्णय भी वादिनी के पक्ष में किया जाता हैं।

तनकी संख्या 3– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर हैं। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य निष्पादित नहीं किया हैं, जिससे स्पष्ट हो कि आवंटन से पूर्व विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा था और प्रताप एवं वादिनी का कब्जा विवादित आराजी पर कभी नहीं रहा हैं। अतः तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता हैं।

तनकी संख्या 4– इस तनकी को भी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर हैं। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं, जिसके आधार पर तनकी को साबित किया जा सके या तनकी साबित होती हो। अतः तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता हैं।

तनकी संख्या 5:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर हैं। मुताबिक राजस्व रेकार्ड विवादित आराजी की अभिलेखित खातेदार वादिनी हैं, जिसे राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हैं। अतः तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता हैं।

तनकी संख्या 6– मुताबिक रेकार्ड वादिनी विवादित आराजी की रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मुताबिक जवाब दावा प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर दखल दिया जाना एवं वादिनी को काश्तकारी करने से रोका जाना स्पष्ट प्रतीत होता हैं। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादिनी का वाद डिक्री किया जाता हैं एवं प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादिनी के खातेदारी अधिकार की आराजी खसरा संख्या 442/178 रकबा 12 बीघा वाके ग्राम उमरथुना तहसील व जिला बून्दी राजस्थान में वादिनी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की महाहमत–मदाखलत नहीं करें, ऐसा न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी कर पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोहन लाल, आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकार
बून्दी